भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1353
उत्तर देने की तारीखः 11.02.2025

वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन

1353. श्री भजन लाल जाटव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में विगत एक वर्ष में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त प्रत्येक पेंशन श्रेणियों के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या क्या है;
(ग) पेंशन के लिए लंबित मामलों की श्रेणीवार संख्या क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(घ) उक्त लंबित मामलों का समाधान कब तक किए जाने की संभावना है और उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पिछले एक वर्ष अर्थात वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगता पेंशन मदों के अंतर्गत जारी धनराशि और कवर किए गए लाभार्थियों का विवरण नीचे दिया गया है:

योजना का नाम	**जारी की गई धनराशि (रुपए लाख में)**	**लाभार्थी (वास्तविक)**
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	2,1141.34	8,04,019
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	8,668.84	3,15,048

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना	710.26	23,468
कुल	**30,520.44**	**11,42,535**

(ग) और (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय के एनएसएपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थी की पहचान संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित सीमा या एनएसएपी पोर्टल पर लाभार्थियों की डिजिटलीकृत संख्या, जो भी कम हो, के अनुसार धनराशि आवंटित करता है।

राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त सभी पेंशन आवेदनों का 45 दिन के भीतर निपटारा कर दिया जाता है। आज की तारीख तक कोई भी मामला लंबित नहीं है।

****